प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 3681/2007

याचिकाकर्ता शशि कुमार राय

बनाम

उत्तरवादिगण/प्रतिवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

02 फ़रवरी,2009 को पारित किया गया

सही/-

न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 3681/2007

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका

याचिकाकर्ता		शशि कुमार राय, आ. श्री सूर्यनाथ राय, आयु लगभग 27 वर्ष, निवासी चरचा कोलियरी, क्वार्टर संख्या 554, पूर्वी नेपाल गेट, पुलिस थाना चरचा, जिला कोरिया (छ.ग.)
	बनाम	
उत्तरवादिगण	**1.**	छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, गृह विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)
	2.	पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर (छ.ग.)
	3.	पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर (छ.ग.)
	4.	पुलिस अधीक्षक, कोरिया, जिला कोरिया (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:

याचिकाकर्ता के और सेश्री पी. तिवारी, अधिवक्ता।

राज्य/उत्तरवादिगण के और सेश्री पंकज श्रीवास्तव, पैनल अधिवक्ता ।

आदेश

(02 फ़रवरी,2009 को पारित)

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

धीरेंद्र मिश्रा, न्यायमूर्ति

याचिकाकर्ता, इस वर्तमान याचिका के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक **03** को कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति देने और नियमों के तहत प्रशिक्षण के लिए भेजने के निर्देश देने का अनुरोध करता है।

2. इस याचिका के न्याय-निर्णयन निर्णय के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि, याचिकाकर्ता ने कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति के लिए पुलिस अधीक्षक, जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़) को दिनांक **21.06.2005** (अनुलग्नक आर-**1/1**) एक आवेदन प्रस्तुत किया था। पुलिस अधीक्षक, जिला-कोरिया में **31.दिसंबर.2005** के ज्ञापन (अनुलग्नक पी/**2**) के माध्यम से याचिकाकर्ता को सात दिवस के भीतर सत्यापन फॉर्म भरने के लिए अपने कार्यालय में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया क्योंकि कांस्टेबल के रिक्त पद पर उनकी नियुक्ति विचाराधीन है। तदनुसार, याचिकाकर्ता ने दिनांक **06.01.2006** को अनुलग्नक पी/**3** का सत्यापन फॉर्म भरा। हालांकि, याचिकाकर्ता को छोड़कर अन्य चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। जब याचिकाकर्ता को पता चला कि उसने कॉलम संख्या **12** के सामने गलती से "नहीं"लिखा है, तो उसने **07.02.2006** को एक शपथपत्र (अनुलग्नक पी/**4**) प्रस्तुत किया, जिसमें इस

तथ्य का खुलासा किया गया कि उसने उपरोक्त कॉलम के सामने गलती से "नहीं"लिखा है, जबकि उस पर बैकुंठपुर न्यायालय में अपराध संख्या **338/99** और **292/96** के अधीन मुकदमा चलाया गया था और दिनांक **07.04.2002** और दिनांक **16.06.2001**के निर्णयों के अधीन उसे दोषमुक्त कर दिया गया था। उत्तरवादी क्रमांक **04** द्वारा जारी दिनांक **24.04.2006** (अनुलग्नक पी/**05**) नोटिस दिया गया, जिसमें उल्लेख किया गया था कि सत्यापन प्रपत्र के कॉलम संख्या **12** में उनके विरुद्ध आपराधिक मामलों की जानकारी न देने के कारण उन्हें कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य ठहराया जाना चाहिए, और उसके बाद दिनांक **05.05.2006** (अनुलग्नक पी/**06**) के आदेश द्वारा उन्हें नियुक्ति के लिए अयोग्य ठहराया गया।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि जैसे ही याचिकाकर्ता को सत्यापन प्रपत्र भरने वक्त अनजाने में हुई त्रुटि के बारे में पता चला, तब उन्होंने **07.02.2006** को अपना शपथपत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने दो दांडिक प्रकरणों में अपने पूर्व अभियोजन और **07.04.2002** तथा **16.06.2001** को उक्त मामलों में दोषमुक्त होने के तथ्य का सच्चाई से खुलासा किया। उन्होंने दिनांक **06.11.2006** के अपने आवेदन (अनुलग्नक पी/**07**) के माध्यम से उपरोक्त स्थिति को पुनः स्पष्ट किया। उनका उपरोक्त तर्क अनुलग्नक पी/**08** और पी/**09** के दस्तावेजों से पूरी तरह से प्रतिबिंबित होता है, जो दर्शाता है कि दांडिक प्रकरणों का निपटारा लोक अदालत में परिवादी के साथ समझौते के आधार पर किया गया था।याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया गया कि उत्तरवादिगण ने अनुलग्नक पी/**04** में दिए गए उसके शपथपत्र पर विचार किए बिना ही उसे नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है और इन परिस्थितियों में, उत्तरवादिगण को उचित निर्देश जारी किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. **पुलिस आयुक्त, दिल्ली एवं अन्य बनाम धवल सिंह**[1] [1]के मामलों में दिए गए निर्णय और **नागेंद्र प्रताप सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य**[22] के मामलों में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर अवलंब लिया गया है।

5. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने कांस्टेबल पद के लिए आवेदन के कॉलम 15 और 16 भरते समय अपने पूर्व अभियोजन को छिपाया था, जबकि अभ्यर्थियों को पूर्व में ही आगाह किया गया था कि आवेदन पत्र में गलत या अपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को बिना कोई कारण बताए सेवा से हटाया जा सकता है। चयन के बाद सत्यापन प्रपत्र भरते समय भी, याचिकाकर्ता ने कॉलम 12ए और बी के विरुद्ध नकारात्मक उत्तर दिया था, जिसमें उससे पूछा गया था कि क्या उस पर कभी मुकदमा चलाया गया था और उसने आगे यह भी घोषित किया था कि उसके द्वारा दी गई जानकारी उसके व्यक्तिगत ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी असत्य या अपूर्ण पाई जाती है, तो नियोक्ता को बिना कोई कारण बताए उसे सेवा से पृथक करने का अधिकार होगा। हालाँकि, पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन के बाद, याचिकाकर्ता के विरुद्ध पूर्व में चलाए गए अभियोजन का खुलासा पुलिस थाना-चर्चा, जिला कोरिया द्वारा अपने ज्ञापन दिनांक 25.01.2006 (अनुलग्नक आर-1/2) द्वारा किया गया था और केवल जिसके बाद, याचिकाकर्ता ने दिनांक 07.02.2006 को अपना शपथपत्र प्रस्तुत करके अपने विरुद्ध पहले हुए अभियोजन के तथ्य का खुलासा किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. **केंद्रीय विद्यालय संगठन एवं अन्य बनाम राम रतन यादव**[3] एवं **सचिव, गृह विभाग, आंध्र प्रदेश एवं अन्य बनाम बी. चिन्नम नायडू**[44] के मामलों में दिए गए निर्णयों पर अवलंब लिया है।

---

[1] (1999) 1SCC 246

[2] Order dt, 04.01.2007 in WP 5912/2005

[3] (2003) 3 SCC 437

[4] (2005) 5 SCC 746

7. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेख में प्रस्तुत सामग्री का अध्ययन किया है। [1]

8. वर्तमान मामले में निर्विवाद तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ने 21.06.2005 को कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत किया था। उपरोक्त आवेदन में कॉलम 15 में पूछे गए प्रश्न "क्या उसे किसी दांडिक अपराध के संबंध में गिरफ्तार किया गया था, और क्या कोई समझौता हुआ था", के उत्तर में उसने "नहीं"कहा और कॉलम 16 के विरुद्ध, "क्या उस पर कभी अभियोजन चलाया गया था"प्रश्न के उत्तर में उसने "क्रॉस मार्क"का चिन्ह लगाया। इसी प्रकार, कॉलम 12अ के विरुद्ध अपने सत्यापन प्रपत्र में भी, "क्या उन्हें कभी गिरफ्तार किया गया और उन पर अभियोजन चलाया गया, हिरासत में लिया गया या मुचलका भरा गया, जुर्माना लगाया गया"के उत्तर में उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया, हालाँकि उन पर अपराध क्रमांक 338/99 और अपराध क्रमांक 292/96 के संबंध में अभियोजन चलाया गया था और दिनांक 07.04.2002 तथा 16..2001 को उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया था। उपरोक्त तथ्य का खुलासा पुलिस थाना-कोरिया द्वारा पुलिस सत्यापन पर दिनांक 24.01.2006 को अपने पत्र द्वारा किया गया था और पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में आने के बाद ही याचिकाकर्ता ने दिनांक 07.02.2006 को उपरोक्त तथ्यों का खुलासा करते हुए अपना शपथपत्र प्रस्तुत किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. धवल सिंह[1]के मामले में, कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी ने कॉलम के विरुद्ध क्रॉस का निशान लगाया था, जिसमें उन्हें अपने विरुद्ध लंबित दांडिक प्रकरणों को, यदि कोई हो, के बारे में जानकारी देने की आवश्यकता थी। अगस्त, 1995 में अपने जांच/सत्यापन फॉर्म में, उन्होंने स्वेच्छा से संबंधित प्राधिकारी को दिनांक 15.11.1995 को दांडिक प्रकरणों के बारे में सूचित किया। हालाँकि, उनकी उम्मीदवारी 20/11/1995 को निरस्त कर दी गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी-उम्मीदवार को भी दांडिक प्रकरण में दिनांक 08.12.1995 को दोषमुक्त कर दिया गया था और आगे यह विचार करते हुए कि संबंधित प्राधिकारी ने नियुक्ति निरस्त करने से पहले उम्मीदवार

द्वारा 15/11/1995 को दी गई सूचना पर ध्यान नहीं दिया, उनकी उम्मीदवारी को निरस्त करना अवैध माना। इस निर्णय से यह भी पता चलता है कि न्यायाधिकरण के आदेश के कारण, उम्मीदवार को सेवा में बहाल कर दिया गया था।

10. नागेंद्र प्रताप सिंह[2]के मामले में भी, उम्मीदवार को रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति के लिए चुना गया था। सत्यापन फॉर्म के कॉलम 12 को भरते समय उन्होंने सभी प्रश्नों के उत्तर नकारात्मक में दिए। हालांकि, इसके बाद उन्होंने दिनांक 25.08.2005 को कॉलम संख्या 12(i)(अ) में सुधार करते हुए एक अनुपूरक आवेदन पत्र के रूप में एक पत्र प्रस्तुत किया और खुलासा किया कि उन पर दो मौकों पर विभिन्न अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था और दिनांक 25.08.2003 के निर्णय और आदेश के अधीन दोनों दांडिक प्रकरणों में उन्हें दोषमुक्त भी कर दिया गया था। इस प्रकार, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उम्मीदवार ने दिनांक 25.08.2005 के अपने पत्र द्वारा अपने सत्यापन फॉर्म में दिनांक 17.08.2005 की जानकारी को स्वेच्छा से संशोधित किया और सात दिनों के भीतर अपने पूर्व के अभियोजन के बारे में खुलासा किया और यह भी विचार करते हुए कि याचिकाकर्ता को अप्रैल,2005 से बहुत पहले सभी दांडिक आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया था, याचिकाकर्ता-उम्मीदवार की रिट याचिका को स्वीकार किया गया और उत्तरवादिगण को याचिकाकर्ता के नियुक्ति के लिए के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. केन्द्रीय विद्यालय[3]के मामले में, अभ्यर्थी को केन्द्रीय विद्यालय में शारीरिक शिक्षा विभाग में शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए चुना गया था। उसे सत्यापन प्रपत्र भरना था, जिसमें यह प्रावधान था कि "किसी भी जानकारी को छिपाना एक बड़ा अपराध माना जाएगा जिसके लिए सजा सेवा से निष्कासन तक हो सकती है।"सत्यापन प्रपत्र के कॉलम क्रमांक 12 और 13 के उत्तर में, जिसके अधीन अभ्यर्थी को यह जानकारी देनी थी कि क्या उस पर कभी अभियोजन चलाया गया है/हिरासत में रखा गया है या उसे बाध्य

किया गया है/जुर्माना लगाया गया है, किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है और क्या सत्यापन प्रपत्र भरते समय उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई मामला लंबित था, अभ्यर्थी ने दोनों प्रश्नों के उत्तर को नकारात्मक में दिए। सत्यापन प्रपत्र में, उसने यह भी प्रमाणित किया कि उसके द्वारा दी गई जानकारी उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है। बाद में, यह खुलासा हुआ कि सत्यापन प्रपत्र भरने की तिथि को उसके विरुद्ध कोई अपराध लंबित था और इन परिस्थितियों में; याचिकाकर्ता-उम्मीदवार को महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने के आधार पर उसकी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। इस प्रकार, केंद्रीय विद्यालय संगठन की याचिका को स्वीकार करते हुए और उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका-12 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"12. सत्यापन प्रपत्र के कॉलम 12 और 13 में जानकारी मांगने और उसके बाद उम्मीदवार द्वारा प्रमाणीकरण का उद्देश्य उसके चरित्र और पूर्ववृत्त का पता लगाना और सत्यापन करना था ताकि सेवा में बने रहने के लिए उसकी उपयुक्तता का आकलन किया जा सके। कोई भी उम्मीदवार जिसने महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई हो और/या गलत जानकारी दी हो, वह सेवा में बने रहने के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। नियोक्ता को रोजगार की प्रकृति और अन्य सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उसकी सेवाओं को समाप्त करने का विवेकाधिकार था, जो स्पष्ट रूप से नियुक्ति प्रस्ताव के पैरा 9 में स्पष्ट है। कॉलम 12 और 13 के अनुसार जानकारी मांगने का उद्देश्य अपराध की प्रकृति या गंभीरता या अंततः आपराधिक मामले के परिणाम का पता लगाना नहीं था। उक्त कॉलम में दी गई जानकारी प्रतिवादी के चरित्र और पूर्ववृत्त का आकलन करने के उद्देश्य से मांगी गई थी कि वह सेवा में बना रहेगा या नहीं। हमारे विचार से, उच्च न्यायालय के मामले इस पहलू को समझने में विफल रहा है। यह कहना गलत

था कि दांडिक प्रकरण को बाद में वापस ले लिया गया था और जिन अपराधों में उत्तरवादी के शामिल होने का आरोप लगाया गया था, वे भी गंभीर प्रकृति के नहीं थे।

12. बी. चिन्नम नायडू[4]के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय विद्यालय संगठन के मामले में दिए गए निर्णय का अनुमोदनपूर्वक उल्लेख करते हुए यह टिप्पणी की है कि जैसा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के मामले में उल्लेख किया गया है, "प्रमाण प्रपत्र के कॉलम 12 और उसके बाद उम्मीदवार द्वारा घोषणा जैसे विभिन्न स्तंभों में जानकारी मांगने का उद्देश्य उसके चरित्र और पूर्ववृत्त का पता लगाना और सत्यापन करना है ताकि सेवा में प्रवेश करने या बने रहने के लिए उसकी उपयुक्तता का आकलन किया जा सके। जब कोई उम्मीदवार महत्वपूर्ण जानकारी छिपाता है और/या गलत जानकारी देता है, तो वह नियुक्ति या सेवा में बने रहने के किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता।"कानून के इस प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं हो सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. वर्तमान मामले में, जैसा कि पहले ही टिप्पणी किया जा चुका है, कांस्टेबल के पद के लिए आवेदन करते समय याचिकाकर्ता ने जानबूझकर आवेदन के कॉलम 15 और 16 में गलत जानकारी दी, और उक्त आवेदन में आगे प्रमाणित किया कि उसके द्वारा दी गई सभी जानकारी उसके व्यक्तिगत ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि यह गलत पाई जाती है, तो उसे बिना कोई कारण बताए सेवा से पृथक किया जा सकता है। इसके बाद, चयन के बाद जब उन्हें सत्यापन फॉर्म भरने के लिए बुलाया गया, तो उन्होंने फिर से कॉलम 12 के प्रश्न का उत्तर अपने विरुद्ध नकारात्मक में दिया, जिसमें उसे यह जानकारी देनी थी कि क्या उस पर कभी अभियोजन चलाया गया था। हालाँकि, पुलिस सत्यापन पर पुलिस स्टेशन-कोरिया के ज्ञापन से पता चला कि याचिकाकर्ता पर पहले दो अलग-अलग अपराधों के लिए अभियोजन चलाया गया था, हालाँकि, इसके परिणामस्वरूप उसे दोषमुक्त कर दिया गया क्योंकि उसने अपना आवेदन भरने से काफी पहले ही शिकायतकर्ता के साथ समझौता कर लिया था।

14. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता को पुलिस विभाग में एक कांस्टेबल के रूप में कार्य करना था, एक कांस्टेबल, जो कानून लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है, जिसके चरित्र और पूर्ववृत्त का एक कांस्टेबल के रूप में उसके कर्तव्यों के निर्वहन पर निश्चित प्रभाव पड़ेगा। उत्तरवादिगण ने मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद, याचिकाकर्ता को कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य माना है। आवेदन और सत्यापन फॉर्म में नियम और शर्तों का उल्लेख है कि यदि उम्मीदवार द्वारा दी गई कोई भी जानकारी अंततः झूठी पाई जाती है, तो उसे बिना कोई कारण बताए सेवा से पृथक किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने प्रमाणित किया है कि उसके द्वारा दी गई जानकारी उसकी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है और उसने यह भी वचन दिया है कि यदि कोई भी जानकारी झूठी पाई जाती है, तो उत्तरवादी उसे सेवा से पृथक करने के लिए अधिकृत होंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. धवल सिंह के मामले के तथ्यों के आधार पर अलग है, क्योंकि उक्त मामले में अभ्यर्थी ने स्वेच्छा से शपथपत्र संलग्न/प्रस्तुत करके दांडिक प्रकरण के लंबित होने की जानकारी दी थी। हालाँकि, उसके बाद के शपथपत्र पर विचार किए बिना ही उसे सेवा से पृथक कर दिया गया और न्यायाधिकरण के निर्देशों के अनुसार उसे पहले ही बहाल कर दिया गया था।

16. इसी प्रकार, नागेंद्र प्रताप सिंह का मामला भी वर्तमान मामले के तथ्यों के आधार पर भिन्न है, क्योंकि उपरोक्त मामले में, सत्यापन प्रपत्र दिनांक 17.08.2005 को भरा गया था, जबकि इसके ठीक सात दिन बाद, याचिकाकर्ता-अभ्यर्थी ने स्वेच्छा से दांडिक प्रकरण के लंबित होने की जानकारी प्रदान की और इस प्रकार सत्यापन प्रपत्र में त्रुटि को सुधार लिया। हालाँकि, वर्तमान प्रकरण में, याचिकाकर्ता ने शपथपत्र तभी दायर किया जब उसके पूर्व अभियोजन की जानकारी पुलिस सत्यापन के बाद कोरिया थाना द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 03 और 04 को पहले ही दिया गया था और उसके शपथपत्र पर विचार करने के बाद उसे अयोग्य अभिनिर्धारित किया गया था।

17. उपर्युक्त कारणों से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्रीय विद्यालय संगठन और बी. चिन्नम नायडू के मामलों में प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों पर अवलंब लेते हुए, यह न्यायालय इस विचार पर हैं कि उत्तरवादिगण ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप के आवश्यकता वाली सामग्री को छिपाने के आधार पर कांस्टेबल (सिपाही) के पद पर याचिकाकर्ता की नियुक्ति निरस्त करने में कोई अवैधता या त्रुटि कारीत नहीं किया गया है।

18. परिणामस्वरूप, याचिका में कोई बल नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाना उचित है और एतद्द्वारा इसे खारिज किया जाता है।

19. बाद व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

धीरेंद्र मिश्रा न्यायाधीश

<u>अस्वीकरण:</u>हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु अंग्रेजी को ही वरीयता दी जाएगी।**<u>Translated By Nitin Sahu</u>**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur